[श्री राजेश कुमार सिंह]

अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी" और आखिर में कहा है कि:

"किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।" तो आपने अपने बचने का रास्ता कहीं न कहीं बना लिया है।

इसलिए यदि ईमानदारी से सदन को अधिकार देना चाहते हैं, और सदन को अधिकार होना भी चाहिए क्योंकि यह सर्वोपरि है, और इस एक्ट में लिखा भी हुआ है :

"The Central Government may make rules regulating all matters connected with or ancillary to the custody of the payment of monies into and the withdrawal of monies from the Contingency Fund of India.

.....no advances shall be made out of such fund except for the purpose of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by Parliament under appropriations made by law."

तो यह अधिकार जब हैं पार्लियामेंट और उसके जब नियम बनाये जा रहे हैं तो कम से कम माननीय सदस्यों को उन पर अपने विचार व्यक्त करने और उनको जानने का अधिकार होना चाहिए। ऐसी सारी व्यवस्था होनी चाहिए कि दोबारा प्रश्न पैदा न हो और सरकार की मंशा के बारे में भी संदेह न हो।

16.32 hrs.

STATEMENT *RE* MEDICAL CHECK-UP OF THE PRESIDENT AT HOUSTON (U.S.A.)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): Mr. Speaker, Sir, a panel of medical experts who recently examined the President, advised that the President required specialised investigations to evaluate the condition of his coronary arteries and if necessary to undergo treatment immediately thereafter. The panel considered the Texas Heart Institute, Houston (USA) as the most appropriate centre for this purpose. The Government accordingly made necessary arrangements and the President left for Houston on 30th September, 1982. Soon after arrival at Houston on 1st October, 1982, the President was admitted into Texas Heart Institute and the investigations are in progress. The President is keeping well and is cheerful.

2. I am sure the House will join me in wishing the President the best of health and safe return to India.

CONTINGENCY FUND OF INDIA (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ज्यादा भाषण देने की बात नहीं है, सिर्फ शिकायत की बात जरूर है, और वह यह कि समय पर नियम यह लोग नहीं बनाते हैं और कभी कुछ कभी कुछ करके लाते हैं जब 1976 में पेश किया गया था उस समय भी संशोधन हो सकता था। लेकिन इससे पता चलता है कि सरकार ने पिछली रोटी खायी हुई है। सब बातें अक्ल की बाद में दिमाग में आती हैं। आपके जो अधिकारी इस तरह के कानून बनाते हैं उनको उसी समय यह दिमाग में रखना चाहिये ताकि फिर जल्दी-जल्दी संशोधन न करने पड़ें। इस तरह की

बातें रखी जायें। तो पहली शिकायत तो यह थी, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इसी बिल के बारे में नहीं, और बहुत सारे बिल आते हैं . . . या संसद् के सामने रखने के बारे में बाद को यह लाते हैं, यह बात नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात का सीधा इससे सम्बन्ध नहीं है। आकस्मिकता निधि से आवश्यकता पड़ने पर आपको पैसा लेने का अधिकार है। लेकिन मेरी दूसरी शिकायत यह है कि हमारे मुल्क में अकाल पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है या दूसरी प्राकृतिक विपत्तियां जनता के सामने आती हैं, उस समय जिस मुस्तैदी से आपको सहायता करनी चाहिये, वह नहीं करते हैं। जब आपके पास यह निधि मौजूद है तो मौका पड़ने पर पहले ही मदद करनी चाहिये। अगर इस प्रकार की स्थिति आये, जैसी कि अभी आई हुई है, मैं जानता हूं कि ठीक से लोगों को मदद नहीं मिल रही हैं, बाढ़ पीड़ितों को मदद नहीं मिल रही है।

आज सवेरे एक सवाल के जवाब में बताया गया कि थोड़ी-थोड़ी राशि आप देते हैं, जिससे न बाढ़ पीड़ितों की सहायता होती है, न उनका पुनर्वास होता है। ठीक उसी प्रकार से जो सूखा-पीड़ित लोग हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या में हैं, उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। आज दोनों मंत्रियों ने बयान दिया, इसलिए ठीक से उनके लिए खर्चा किया जाये जिससे उनको तकलीफ न हो। इस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। मेरा निवेदन है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिये ताकि लोगों को समय पर सहायता मिल जाये।

इन दो बातों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी सुझाव दिया है कि जो बिल आये, उसके साथ नियम भी आ जायें, उसको इसके साथ जोड़ते हुए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मान लीजिए, यह तो एक ऐसा ऐक्ट हैं जो बहुत पुराना है, इसमें जो भी नियम बने हैं, उसको अगर हम निरस्त करने की प्रक्रिया बना लें, उसमें यह क्लाज न जोड़ें, जो जोड़ा गया है कि जो कुछ भी किया गया है अब तक, वह अदालतों द्वारा अमान्य नहीं किया जाएगा तो यह बात अलग है, लेकिन मैं इस सम्बन्ध में अपना सुझाव आपके समक्ष रखता हूं।

हमने इसमें कहा है कि इस धारा के अधीन बनाये प्रत्येक नियम, "बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र"। यह मान लीजिए यह पुरानी हैं, लेकिन भविष्य में क्या सरकार ऐसी कोई बात करने जा रही है या मेरा सुझाव मानना चाहती है कि यदि यह जल्दी न बनाये जायें तो क्या दंड देंगे उस अधिकारी को जिसने यह बना कर नहीं भेजे? जब तक यह बात नहीं होगी तब तक उनके कान पर जूं नहीं रेंगेगी। ये बहुत भयंकर लोग हैं, ये आपको गुमराह करते हैं और जब आपके जवाब देने का समय आता हैं तो चिट भेज देते हैं कि मंत्री जी ऐसा बोल दो।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी नया बिल बने उसमें नियम हों, यह आप प्रावीजन करें या यह प्रावीजन करें कि नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, इसको डिफाइन कर दीजिए कि 3 महीने या 6 महीने में बन जायेंगे।

जब हम सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी में थे तो एक एक्ट 1948 का था, आज तक उसके नियम नहीं बने। इस प्रकार

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

के दंड की व्यवस्था आप कर देंगे कि होगा, होगा, तो ऐसा करने से क्या होगा । अगर ये लोग नियम नहीं बनाते हैं खास समय में तो उनकी क्या ऊठक-बैठक आप करायेंगे । जब तक यह नहीं करेंगे, ये लोग समय पर नियम बना कर आपको नहीं देंगे ।

इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि जब आप नया बिल बनायें तो रूल्स उसके साथ प्रस्तुत होने चाहियें जिससे उन पर भी पूरी बहस हो जाये । पूरे पार्लमेंट (लोकसभा और राज्य सभा) में उस पर बहस हो जाए ।

दूसरी बात यह है कि अनफारसीन घटनाओं पर पैसा खर्च किया जायेगा लेकिन अगर मान लीजिये फोरसीन घटनाओं पर ये खर्चा कर दें तो क्या होगा ? इस पैसे की स्थिति तो ऐसी ही होगी कि जेब से पैसा निकालो और जिसे चाहे दे दो अगर सिग्रेट की जरूरत है तो कंटिन्जेसी से, अगर किसी को खुश करना है तो वह भी कंटिन्जेन्सी से जैसे कि आम तौर पर चुनावों के समय होता है । अगर स्कूल के लिये चाहिये तो दस हजार लीजिये और खुश रहिये लेकिन वोट दे दीजिये । इसलिये मेरा निवेदन हैं कि यह जो कंटिन्जेसी हैं वह अनफोरसीन सर्कम्सटांसेज के लिये है, इसके लिये आप रूल्स बना कर प्रस्तुत कीजिये ताकि इस पैसे का किसी प्रकार से दुरूपयोग न हो सके । यह पचास करोड़ की रकम जनता के गाढे पसीने की कमाई है । मंत्री जी ने यह नोट नहीं छापे हैं । इसलिये इस पैसे के दुरूपयोग पर अंकुश लगना चाहिये । इस संसद के द्वारा इस पर कोई अंकुश होना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया ।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1950 मात्र चार सैक्शन वाला अधिनियम था, जिसमें अब मंत्री जी पांचवा संशोधन करना चाहते हैं । इसके पहले जो संशोधन हुए हैं, वे कभी 30 करोड़ से सौ करोड़ करने के लिये, कभी 50 करोड़ से 150 करोड़ करने के लिये किये गये हैं । इस बिल का उद्देश्य और कारण यही था कि जो ऐसी अनफोरसीन घटनायें घटें उनकी पूर्ति इस फण्ड से की जा सके । लेकिन अब इसमें जो आप पांचवा संशोधन करने जा रहे हैं, उसके द्वारा आप कार्यपालिका के अधिकारियों की शक्ति को असीमित करने जा रहे हैं । ये लोग पैसे को अपने पास रखें और जैसे चाहें भुगतान करें । कार्यपालिका के अधिकारियों को इस प्रकार की असीमित शक्ति का दिया जाना किसी भी प्रजातांत्रिक देश के लिये उचित नहीं होगा वे जो भी हिसाब बना देंगे, उसको मंत्री जी को यहां पर पास कराना ही होगा । उस समय ये तर्क दे दिया जाता है कि ऐसा जनहित में किया गया और जनता के प्रतिनिधियों को उसे मानना पड़ता है, इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर पाबन्दी लगनी चाहिये और इस फण्ड से जो भी खर्चा होता है, उसका पूरा ब्यौरा ठीक समय पर दिया जाये । मंत्री जी यहां पर इस प्रकार का संशोधन लायें जिससे कि जनहित में इस जन कोष का दरुपयोग न हो सके ।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY): The hon. Members have given very good suggestion. In fact the Government is implementing the salutary recommendations of the Cimmittee on subordinate Legislation. It is not a mandotory provision There was no statutry requirement. In view of the recommendations of the Committee on Subordinate Legislation to the effect that amendment should be brought in the main Act, thereby making provision for rules for their publication in the official gazette, this amendment to the main Act has been brought.

The corpus of this contingency fund of India was fixed at Rs. 15 crores in 1950. Subsequently in 1970 it was raised to Rs. 30 crores. During the Bangla war it had been raised to Rs. 100 crores. In 1975, an amendment was brought. As a consequence of it the fund's Corpus stands at Rs. 50 crores. Out of this Rs. 2 crores have been provided for the Railways. Afterwards in the year 1979-80 the corpus of the fund was again raised to Rs. 150 crores uptil 31st March, 1980 on the dissolution of the Sixth Lok Sabha. Under the Contingency Fund of India Act of 1950, the rules were framed in 1952. In the month of August, 1952 the rules were published in the official gazette. These rules are placed in the Parliament library also. In the absence of this specific provision in the Act, was the publication prevented in the official gazette? No. The rules were framed. Immediately after the framing of the rules in 1952, the rules were published in the official gazette and also the rules are placed in the Parliament library. I admit that there should be wide publicity for all the enactments and also for the rules made thereunder. Here I do not think that any opportunity was denied to the people of his country in view of the fact thtat hese rules were published in the year 1952 immediately after framing of the rules.

I want to mention one more point—that is immediately after an advance from the Contingency Fund of India, supplementary demand is required to be presented and discussed thoroughly in the Parliament. Opportunity is being given to Parliament to discuss both pros and cons of the rules made under the Contingency Fund Act. Under these circumstances, I may submit only one point. So far as the rules and their publications are concerned, I may submit that no injustice has been caused either to Parliament or to the people outside Parliament. I may submit only one fact. The scope of the debate is very limited, that is, whether we have to implement the recommendations of the Committee on Subordinate Legislation or not. Even though time is taken, the Act is being amended. By virtue of this amendment, Parliament has been given the power to review the rules made under the Act and also to nullify the rules, if they are not useful to the people of this country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Contingency Fund of India Act, 1950, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the enaction Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"that the Bill be passed."

The motion was adopted.